राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी–स्कीम, जयपुर –302005

दूरभाष सं. 0141–2229314, 226728 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांकः प. 10 () चुनाव/जन/डीएलबी/स्वा.शा./2025/3058-60 दिनांक : 19/2/2025

जिला कलक्टर,
जयपुर/जोधपुर/कोटा
राजस्थान।

विषयः– नगर निगम के वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमांकन एवं वार्डों का पुनर्गठन करने बाबत्।

प्रसंगः– इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 1624 दिनांक 13.02.2025 एवं पत्र क्रमांक 2301–41 दिनांक 19.02.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 13.02.2025 एवं दिनांक 19.02.2025 द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकायों में परिसीमांकन/वार्डो के पुनर्गठन के विषय में दिशा–निर्देश जारी किए गए है। जिला जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में कार्यरत दो नगर निगमों के एकीकरण के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है।

उपरोक्त नगर निगमों के प्रस्तावित एकीकरण के बाद विभाग के प्रासंगिक पत्रांक 1624 दिनांक 13.2.2025 एवं पत्र क्रमांक 2301–41 दिनांक 19.02.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार परिसीमांकन/वार्डो के पुनर्गठन का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाना है।

उपरोक्त नगर निगमों में प्रस्तावित एकीकरण के बाद विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5066 दिनांक 22.11.2024 अनुसार वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्डों का निर्धारण किया जायेगा। तद्नुसार इन निकायों में वार्डों की संख्या निम्न प्रकार से होगी :–

क्र. सं.	जिला	नगर निगम का नाम	नगर निगम वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या	प्रस्तावित वार्डो की संख्या
1	जयपुर	नगर निगम जयपुर	30,41,909	150
2	जोधपुर	नगर निगम जोधपुर	10,33,756	100
3	कोटा	नगर निगम कोटा	10,01,694	100

कृपया विभाग के प्रासंगिक पत्रों में दिये गये निर्देशों एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परिसीमांकन/वार्डो का पुनर्गठन का कार्य सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : एफ.10(न.पा.)(गठन)डीएलबी/2025/3061-76 दिनांक : 19/2/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, कोटा।
5. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, जयपुर राजस्थान।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. समस्त, उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, कोटा राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा को भेजकर लेख है कि जिला कलक्टर के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में वार्ड परिसीमांकन से संबंधित समस्त कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(लेखराज जाग्रत)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी